संख्या-01/2022/130(1)/001-83-1002-2-2021

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231-/2022 दिनांक 30.12.2021 व शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना के अन्तर्गत रू0-796.74 लाख अर्थात् रु0-7,96,74,000/- (रुपये सात करोड़ छियानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि, जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु वित्त विभाग के उक्त शासनादेश व कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं|

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, प्रदर्शित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न की जाय|

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो|

(3) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके| अतः यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथासम्भव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पुरे वित्तीय वर्ष के लिए किया जाय|

(4) प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें|

(5) उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश द्वारा दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें|

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	2,07,000 (रुपये दो लाख सात हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	95,000 (रुपये पंचानबे हजार मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	23,000 (रुपये तेईस हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)
7	027	2070001060301 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	027	2070001060301 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
9	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
10	027	2070001060301	51	3,000

		सामान्य	वर्दी व्यय	(रुपये तीन हजार मात्र)
11	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
12	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	01 वेतन	58,28,000 (रुपये अट्ठावन लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
13	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	03 मंहगाई भत्ता	21,57,000 (रुपये इक्कीस लाख सत्तावन हजार मात्र)
14	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	04 यात्रा व्यय	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
15	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
16	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	06 अन्य भत्ते	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
17	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	07 मानदेय	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
18	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	08 कार्यालय व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
19	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप	11 लेखन सामग्री और	33,000 (रुपये तैंतीस हजार

		से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	फार्मों की छपाई	मात्र)
20	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
21	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,33,000 (रुपये दो लाख तैंतीस हजार मात्र)
23	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
24	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
25	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	45 अवकाश यात्रा व्यय	54,000 (रुपये चौवन हजार मात्र)
26	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	49 चिकित्सा व्यय	2,33,000 (रुपये दो लाख तैंतीस हजार मात्र)
27	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला	51 वर्दी व्यय	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)

		व्यय 25 प्रतिशत		
28	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	55 मकान किराया भत्ता	8,58,000 (रुपये आठ लाख अट्ठावन हजार मात्र)
29	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	21,67,000 (रुपये इक्कीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
30	027	2070001060501 सामान्य	01 वेतन	4,37,07,000 (रुपये चार करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र)
31	027	2070001060501 सामान्य	02 मजदूरी	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
32	027	2070001060501 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	1,61,71,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र)
33	027	2070001060501 सामान्य	04 यात्रा व्यय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
34	027	2070001060501 सामान्य	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
35	027	2070001060501 सामान्य	07 मानदेय	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)
36	027	2070001060501 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	1,17,000 (रुपये एक लाख सत्रह हजार मात्र)
37	027	2070001060501 सामान्य	09 विद्युत देय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
38	027	2070001060501	10	40,000

		सामान्य	जलकर/जल प्रभार	(रुपये चालीस हजार मात्र)
39	027	2070001060501 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
40	027	2070001060501 सामान्य	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
41	027	2070001060501 सामान्य	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
42	027	2070001060501 सामान्य	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
43	027	2070001060501 सामान्य	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
44	027	2070001060501 सामान्य	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
45	027	2070001060501 सामान्य	26 मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1,13,000 (रुपये एक लाख तेरह हजार मात्र)
46	027	2070001060501 सामान्य	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
47	027	2070001060501 सामान्य	42 अन्य व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
48	027	2070001060501 सामान्य	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)

			व्यय	
49	027	2070001060501 सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
50	027	2070001060501 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
51	027	2070001060501 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
52	027	2070001060501 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
53	027	2070001060501 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	26,66,000 (रुपये छब्बीस लाख छियासठ हजार मात्र)
कुल				**7,96,74,000 (रुपये सात करोड़ छियानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231 /2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन|

संख्या-01/2022/130(1)/001-83-1002-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद|
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद|
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ|
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ|
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन|
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन| (03 प्रतियों में)
7- गार्ड फ़ाइल|

आज्ञा से,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन|

http://shasanadeshun